

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2020/
प्रार्थी

बनाम

7/2

दिनांक - 18.3.20

अप्रार्थीगण

किरताराम पुत्र
नारणाराम जाति जाट
निवासी जेताणियों की
ढाणी (खुडासा) तहसील
व जिला बाड़मेर।

1 गोमाराम 2 कुम्भाराम 3 गंगाराम पिसरान जेताराम 4
शेम्भूराम पुत्र विरधाराम 4 बांकाराम पुत्र मेहाराम 5 जसाराम
पुत्र लाधाराम 6 सताराम पुत्र सालूराम जाति जाट 7 नवाराम
पुत्र गंगाराम जाति भील निवासी जेताणियों की ढाणी
(खुडासा) 8 पेमाराम 9 टीकमाराम पिसरान हरजीराम 10
चोलाराम पुत्र केसाराम 11 हेमाराम पुत्र लाधाराम 12 दलाराम
पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी पोकर भादू की ढाणी,
(खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 198/2019

दिनांक- 07/09/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 241/181 रकबा 43.18 बीघा भूमि तथा मौजा पोकर भादू की ढाणी पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 392/11 रकबा 09.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 18.3.20

क्रमांक :- रीडर/2020/ 7/2-7/6

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुडासा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. किरताराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गोमाराम पुत्र जेताराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

